न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर) राज0

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)।

दावा नंबर – 115/11

तारीख निर्णय– 11.10.2018

1. घनश्याम पुत्र श्री हरीलाल कौम जाट साकिन मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

वादी0

बनाम

1. बीरीसिंह पुत्र नामालूम जाति जाट नि0 मांझी तह0 नदबई।

असल प्रति0

2. हरदयाल
3. नानगा पिस0 हरीलाल जाट सा0 मांझी ।
4. दीवानसिंह राजेन्द्रसिंह जाति जाट नि0 मांझी।
5. रामबीरी पत्नि हरभानसिंह जाति जाट नि0 मांझी
6. बृजवती पत्नि जीतेन्द्र जाति जाट नि0 मांझी
7. दयावती पत्नि राजन जाति जाट नि0 मांझी
8. गुड्डी पत्नि वेदप्रकाश जाति जाट नि0 मांझी

तर0 प्रतिवादीगण

2

दावा नंबर – 119/11

तारीख निर्णय– 11.10.2018

1. बीरीसिंह पुत्र घनश्याम जाति जाट नि0 मांझी तह0 नदबई जिला भरतपुर राज0 ।

वादी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र हरीलाल जाति जाट नि0 मांझी तह0 नदबई ।
2. राज0 सरकार जरिये तह0 नदबई ।

असल प्रतिवादीगण

3. श्रीमान सब रजि0 महो0 नदबई ।
4. बाबू पुत्र घनश्याम (मृत)
   4/1 कृष्णा 4/2 क्रिस पिस0 बाबू नावा0 वली माता खुद बबली वेवा बाबू जाति जाट नि0 मांझी ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4/3 बबली वेवपा बाबू जाति जाट नि0 मांझी ।
5. एस.बी.बी.जे0 शाखा नदबई जरिये प्रबंधक ।
तर0 प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी घनश्याम द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधि0 व वीरीसिंह द्वारा एक दावा अन्तर्गत घारा 88–89, 188 रा0का0 अधि0 पेश किया है । वादी घनश्याम द्वारा अपने घेाषणा के वाद में निवेदन किया है कि विवादित आराजी ख0नं0 82 रकबा0. 16,88 रकबा 0.08, 89 रकबा 0.28, 388 रकबा 0.52, 389 रकबा 0.47, 559 रकबा 0.20, 560 रकबा 0.04, 735 रकबा 0.59, 736 रकबा 1.02, 739 रकबा 0.45,765 रकबा 0.40, 766 रकबा 0.60, 766 रकबा 0.60 ,1505 रकबा 0.60, 1506 रकबा 0.59 किता 14 रकबा 6.00 है खन0नं 592 रकबा 0.29, 593 रकबा 0.33, किता 2 रकबा 0.62 है वाके ग्राम मांझी स्थित है । उक्त आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवाद ीगण की पैत्रिक आराजी है । उक्त आराजी पर वे काविज होकर काश्त कर रहे है । वादी की पत्नि विरमा थी जो 5 मई 1972 को वादी को छोडकर चली गई तथा इसके ढाई साल वाद प्रतिवादी का जन्म ग्राम पथैना में हुआ था । वादी का उसकी पत्नि से इस अवधि में किसी प्रकार का शारीरिक संबध नहीं रहा था । अतः प्रतिवादी नाजायज औलाद है जिससे वादी का कोई खून का रिश्ता नहीं है । अतः वादी प्रतिवादी को वादी की आराजी में मदाखलत व मजाहमत न करने के लिए पाबंद करा पाने का अधिकारी है। दिनांक 20.7.2011 को प्रतिवादी ने खुले आम धमकी दी कि वह वादी की आराजी में जबरन कब्जा कर लेगा तथा उसे उक्त आराजी से बेदखल कर देगा । वर विनाय धमकी वादी को दावा लाने का हक पैदा हुआ।

प्रतिवादी वीरीसिंह ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0का0अ0 पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त विवादित आराजी पैत्रक आराजी है जो वादी के बाबा हरीलाल से विरासतन धनश्याम को प्राप्त हुई है । जबकि जन्म से ही विवादित आराजी पर वाद व तरतीवी प्रतिवादीगण का व हिस्सा बराबर बनता है । अपने हिस्से से अधिक आराजी को प्रतिवादी घनश्याम से बेचान कर दिया है । प्रतिवादी 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात कलमजन किये जावे तथा तरतीवी प्रतिवादी सं0 4 को व हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । उपरोक्त दावा व दानों पक्षों के जबाब के आधार पर दावा धनश्याम बनाम बीरीसिंह में तनकीयात कायम की गई जिनके आधार पर निम्न प्रकार निर्णय किया जाता है ।

1. तनकी संख्या–1 आया वादी प्रति0 ो `जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पांबंद करा पाने का अधिकारी है ।

   उक्त तनकी को सावित करा पाने का भार वादी घनश्याम पर था । वादी ने दावे में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 पेश की है जिसमें घनश्याम नानगा हरदयाल पि0 हरीलाल हि0ब0 3/4 अंकित है । वादी ने अपने बयान में विवादित आराजी को पुर्खो की होना बताया है तथा अपने बयान में विरमा को अपनी पहली पत्नि होना स्वीकार किया है परन्तु वीरी सिंह का जन्म विरमा को छोड कर चले जाने के पश्चात 2 1/2 वर्ष वाद होना बताया तथा वीरी को अपना लडका नहीं बताया है । वादी घनश्याम ने दूसार शादी विरमा के चले जाने के बाद ढाई साल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बाद करली थी । यहां प्रश्न पैदा होता है कि वीरीसिंह घनश्याम कापुत्र नहीं है किन्तु विरमा जो उसकी प्रथम पत्नि है से पैदा होना वादी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है किन्तु इस बात का कोइ सबूत पेश नहीं किया कि प्रतिवादी उसका पुत्र नहीं है । अतः पतिवादी उसका वारिस माना जावेगा । अतः उक्त तनकी खिलाफ वादी निर्णित की जाती है ।

2. तनकी सं0 2 – वादी पैत्रक आराजी पर काविज होकर काश्त कर रहा है उसने कोई धमकी नहीं दी ।

उक्त कम में प्रतिवादी ने अपना हक विरासतन चाहा है जिसमें उसका हक बनता है । धमकी देने बावत कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया है । अतः उक्त तनकी खिलाफ वादी निर्णित की जाती है ।

दावा वीरीसिंह बनाम घनश्याम में कायम तनकीयात का निर्णय तनकीवार निम्न प्रकसर किया जाता है :–

1. तनकी संख्या 1 व 3 आया वादी व प्रति0 सं0 4 को व हि व का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे प्रतिवादी के नाम को कलमजन किया जावे । आया वादी प्रतिवादी सं0 1 का पुत्र नहीं है ?

उक्त तनकी को सावित करने का भार वादी पर था । वादी ने अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2064–67, मिलान क्षेत्रफल सं0 2060, व संवत 2028 , नकल जमाबंदी सं0 2048 से 51, नकल जमाबंदी सं0 2014 से 2017, आदि पेश की है । संवत 2017 में विवादित आराजी पर हरीलाल पुत्र भवानी कौम जाट खातेदार काश्तकार दर्ज है । संवत 2028 भू प्रबंध में बने नंबरो पर संवत 2048 की जमाबंदी में धनश्याम ,नानगा ,हरदयाल खातेदार के रूप में दर्ज हो गये हैं तथा आज दिनांक तक बदस्तूर चले आ रहे है । घनश्याम ने उक्त आराजी में कुछ आराजी का बेचान भी कर दिया है । इस प्रकार वह अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर चुका है । बर्तमान में विवादित आराजी बैक के नाम रहन दर्ज है । दावा घनश्याम बनाम वीरीसिंह में यह सावित हुआ है कि वीरीसिंह घनश्याम का पुत्र है जो उसकी पूर्व पत्नि विरमा की पैदायस है । दूसरी पत्नि से तरतीवी प्रतिवादी सं0 4 बाबू पैदा हुआ है जो वर्तमान में फौत हो चुका है तथा उसके तीन वारिस 1.कृष्णा, 2 किस पुत्र तथा एक लडकी बबली मौजूद है जो रिकार्ड पर लिए जा चुके है । वादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आर आर टी 2011 पेज 788 विकास एण्ड अन्य बनाम लेखाराम व अन्य व आरआरटी 2013 पेज 1033 जहल टंटी व अन्य बनाम नागेश्वरसिंह का हवाला दिया है । जिनमें पूर्व पत्नि की संतान को उसके हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वादी वीरीसिंह को हम अपने पिता की आराजी से हिस्सा मांगना उचित समझते हैं । तनकी सं0 3 में प्रतिवादी वादी को अपना पुत्र नहीं मानता है जबकि उसने इस बावत कोई सबूत मात्र मौखिक साक्ष्य में इसके कि वह उसकी पत्नि के छोडकर चले जाने के 2 1/2 वर्ष वाद पैदा हुआ । किन्तु विरमा का पुत्र मानता है तथा विरमा से कोई वैधानिक तलाक के दस्तावेज भी पेश नही किये है । दौराने दावा प्रतिवादी घनश्याम द्वारा ख0नं0 739,765,766 व 1506 का बेचान दिनांक 13.7.12 को जरिये वयनामा कर दिया है तथा दावा से पर्व उक्त पैत्रिक आराजी से और भी बेचान कर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

चुका है । अतः घनश्याम द्वारा पैत्रिक आराजी का बेचान करने के पश्चात निम्न खसरा नंबर ख0नं0 82 रकबा0.16,88 रकबा 0.08, 89 रकबा 0.28, 388 रकबा 0.52, 389 रकबा 0.47, 559 रकबा 0.20, 560 रकबा 0.04, 735 रकबा 0.59, 736 रकबा 1.02 ,1505 रकबा 0.60, 1506 रकबा 0.59 का 1/4 हिस्सा एवं ख0नं0 390 रकबा 0.32, 391 रकबा 0.30, 395 रकबा 1.11, 396 रकबा 0.45, 397 रकबा 0.31 398 रकबा 0.45, 405 रकबा 406 रकबा 407 रकबा 0.61, 408 रकबा 0.10, 409 रकबा 0.47, 410 रकबा 0.30, 411 रकबा 0.43, 413 रकबा 0.59,414 रकबा 0.12,827 रकबा 0.29, रकबा 830 रकबा 0.20, 831 रकबा 0.19, 1411 रकबा 0.30,1315 रकबा 0.15, 1424 रकबा 0.01,1425 रकबा 012 वाके ग्राम मांझाी हिस्सा 1/8 बकाया रहते हैं अतः वह अपनी हिस्से की समस्त आराजी का बेचान कर चुका है तथा उसका नाम उक्त आराजी से कलमजन किया जाना उचित है । अतः तनकी सं0 1 व 3 व हक वादी निर्णित की जाती है ।

2. तनकी सं0 2 – आया वादी प्रतिवादी सं0 1 लगा 4 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की ढ्रिकी से पाबंद करा पाने का अधिकारी है ।
उक्त तनकी को सावित करा पाने का भार वादी वीरीसिंह पर था । वादी ने इस बावत कोई सबूत पेश नहीं किया किन्तु आराजी पैत्रिक है तथा बैक से लौन उसके पिता ने लिया है अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से व हक वादी निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त तनकीयों के विवेचन के आधार पर दावा घनयाम बनाम वीरीसिंह अन्तर्गत धारा 188 रा0का0 अधिनियम खारिज किया जाता है तथा वीरीसिंह बनाम घनश्याम अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0का0अ0 डिकी किया जाकर आदेश है कि खसरा नंबर ख0नं0 82 रकबा0.16,88 रकबा 0.08, 89 रकबा 0.28, 388 रकबा 0.52, 389 रकबा 0.47, 559 रकबा 0.20, 560 रकबा 0.04, 735 रकबा 0.59, 736 रकबा 1.02 ,1505 रकबा 0.60, का 1/4 हिस्सा एवं ख0नं0 390 रकबा 0.32, 391 रकबा 0.30, 395 रकबा 1.11, 396 रकबा 0.45, 397 रकबा 0.31 398 रकबा 0.45, 405 रकबा 0.01 406 रकबा 0.59 407 रकबा 0.61, 408 रकबा 0.10, 409 रकबा 0.47, 410 रकबा 0.30, 411 रकबा 0.43, 413 रकबा 0.59,414 रकबा 0.12,827 रकबा 0.29, रकबा 830 रकबा 0.20, 831 रकबा 0.19, 1411 रकबा 0.30,1315 रकबा 0.15, 1424 रकबा 0.01,1425 रकबा 012 वाके ग्राम मांझाी हिस्सा 1/8 में से वादी वीरीसिंह को 1/2 तथा प्रतिवादी सं0 4 के वारिसान 4/1 से 4/3 को व हि वराबर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रहन का नोट यथावत रहेंगा । प्रतिवादी घनश्याम का नाम कलमजन हो । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील/तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official